नंबर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता का

प्रकरण न. 2/60/2022 तारीख रजू 04/3/2022

सम्पत बनाम पूरन वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली मर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 170 वाके ग्राम सेडूकानगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐं कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 22.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22.3.22	वजुहात पीठासीन अधि0/P.O बाहर/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 23-3-22 को पेश हो। लिपिक	
23.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। श्रवण किया। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 28/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्र०पत्र 06 R 17 CPC पेश किया। प्रति० नि० लिया। प्र०पत्र 06 R 17 CPC पर बहस वकुलाय सुनी गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली प्र०पत्र का अवलोकन किया गया। अतः वकील वादी का प्रार्थना पत्र 06 R 17 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 22/4/22 को पेश हो। SDOK उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/4/22	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। [illegible] उप० वकील प्रार्थी। अप्रार्थी की बहस २१२ प्रार्थना पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/4/22 को पेश हो। SDOK उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
25/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में सफल रहे हैं। इनका प्र०पत्र २१२ RM साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्थगन आदेश दिनांक 4.3.22 ता दावा फैसला तक स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रति० नि० किया गया। पत्रावली नौबत कुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया गया। SDOK उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/60/2022

वउनवान

1. सम्पत पुत्र श्री नवलाराम जाति ब्राहमण निवासी सेडूकानगला तहसील कठूमर जिला अलवर

सायल

बनाम

1. पूरन पुत्र बृजलाल जाति बैरागी निवासी सेडूकानगला
2. संतोश पुत्र पूरन जाति बैरागी निवासी सेडूकानगला तहसील कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता सायल

श्री रामजीलाल शर्मा' – अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 25.04.2022

सायल द्वारा प्रस्तुत दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि है कि आराजी खसरा नम्बर 170 रकवा 0.90 हे. वाके ग्राम सेडूकानगला तहसील कठूमर में स्थित है कि जो आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी के वहिस्सा बराबर संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका लगान सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी शामलात में अदा कर रहे है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 170 के चपेटवां तरफ उत्तर को गेरसायलान का खेत खसरा नम्बर 168 खातेदारी का खेत है। जिस आराजी में गैरसायलान सायलएंव तरतीवी प्रतिवादी की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विवादित आराजी खसरा नम्बर 170 के चपेटवां पुख्ता मकानात का निर्माण कर रहे है। जिन्होंने सायल को दिनांक 03.03.2022 को एलानियां धंमकी दी है कि हम हमारे निर्माणाधीन मकान के दरबाजा रोशनदान मोरी जंगला आपके खेत खसरा नम्बर 170 की तरफ कायम कर तुम्हें शांति पूर्वक विवादित आराजी खसरा नम्बर 170 पर काश्त नहीं करने देगें तथा अपने मकाना में दरबाजा कायम कर आपकेखेत में होकर भी अपना रास्ता कायम करेगें तथा निर्माणाधीन मकान में मोरी कायम कर मोरियों से हम वर्शाती एंव दैनिक उपयोग का गन्दा पानी वहाकर तथा टटटी पेशाव वहाकर तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगें। हाल में विवादित आराज़ी में सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी की लाहा की फसल मौके पर पक कर खडी हुई है जवकि गैरसायलान को सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 170 की तरफ रोशनदान मोरी जंगला दरबाजा रास्ता कायम करने का कोई हक व अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह वो वर्वाद हो जावेगा। सायल को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की ज़ाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 168 गैरसायल सं0 1 के पिता विरजा के कब्जे क़ाश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर गैरसायल काविज रहकर काश्त कर रहा है गैरसायलान ने खसरा नम्बर 168 जो हमारे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उसमें पक्का पुख्ता निर्माण कार्य किया जा रहा है जो आराजी खसरा नम्बर 168 की डोल को छोड कर निर्माण किया जा रहा है सायल का गैरसायलान के खसरा नम्बर 168 से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान द्वारा खसरा नम्बर 170 में किसी प्रकार का कोई जंगला मोरी रोशनदान नहीं निकाल रखे है बल्कि खसरा नम्बर 168 की तरफ दक्षिण को अपनी आराजी की डौल को छोड कर गैरसायलान द्वारा निर्माण किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 तथा छाया प्रति नक्शा ट्रेस वाके ग्राम सेडूकानगला पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है गैरसायलान को विवादित आराजी की तरफ अपने मकान के मोरी जंगला रोशनदान आदि कायम करने एंव रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है। अतः गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खसरा नम्बर 170 की तरफ जगह छोड कर निर्माण किया गया है। गैरसायलान का विवादित आराजी से बास्ता नहीं है। सायल ने गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने अपने कथनों की पुश्टि में नकल फोटो ग्राफी किता 3 नकल फोटो प्रति नक्शा ट्रेस किता 2 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलद्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1 **प्रथम दृश्टाकेस** :– पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से विवादित आराजी खसरा नम्बर 170 सायल एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी तथा खसरा नम्बर 168 गैरसायल सं0 1 के पिता एंव दो के दादा विरजा की खातेदारी की आराजी प्रमाणित है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 170 के चपेटवां तरफ उत्तर खसरा नम्बर 168 नकल सत्यप्रलिपी नक्शा ट्रेस से सावित हे। विवादित आराजी वावत मौका कमिश्नर तहसीलदार कठूमर ने मौका देख अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मौका पर्चा दिनांक 18.04.2022 को तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया। मौका पर्चा रिपोर्ट अवलोकन से विवादित आराजी की तरफ गैरसायलान द्वारा अपने निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर जंगला लगाने हेतु जगह छोडी हुई होना तथा खसरा नम्बर 170 से लगती हुई खसरा नम्बर 168 में गैरसायलान पूरण, संतोश द्वारा निर्माण किया जाना अंकित किया है जिस मौका पर्चा में गैरसायलान द्वारा खसरा नम्बर 170 के लगते हुये खसरा नम्बर 168 में निर्माण किया जाना अंकित किया है। खसरा नम्बर 168 के तरफ दक्षिण गैरसायलान द्वारा खसरा नम्बर 168 की डोल छोड कर निर्माण किया जाना मौका कमिश्नर तहसीलदार के मौका पर्चा से सावित नहीं है। अतः मौका पर्चा, मौका कमिश्नर तहसीलदार कठूमर से सायल के तथ्यों की पुश्टि होती है। गैरसायलान ने खसरा नम्बर 168 के निर्माणाधीन मकान की दूसरी मजिल पर खसरा नम्बर 170 की तरफ जंगला लगाने हेतु जगह छोडी है वो जगह दावा एंव स्थगन प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते निर्माण करने पर छोडी गई सावित है। जो गैरसायलान के जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से कि हमने खसरा नम्बर 170 की तरफ कोई मोरी जंगला नहीं निकाले है सावित नहीं है। ऐसी स्थिति में सायल खसरा नम्बर 170 का काविज कृषक खातेदार काश्तकार है गेरसायलान को खसरा नम्बर 168 के निर्माणाधीन मकान की मोरी जंगला रोशनदान दरबाजा टावर छजली आदि निकालकर वो उनमें वर्शाती रोजमर्रा का गंदा पानी वहाकर टटटी पेशाव व कूडा करकट व रास्ता कायम कर सायल के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान करने का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। गैरसायलान ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 170 से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होना वो खसरा नम्बर 170

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायल व तरतीवी प्रतिवादी की कब्जे काश्त खातेदारी का माना है। अतः प्रथम दृश्टा केस सायल के पक्ष में व गैरसायलान के विरूद्व सावित है।

2.सुविधा का सन्तुलन– यदि गैरसायलान को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वो अपने निर्माणाधीन मकान के मोरी जंगला रोशनदान दरबाजा टावर छजली आदि खसरा नम्बर 170 की तरफ कायम कर व उनसे टटटी पेशाव वर्शाती व रोजमर्रा का गंदा पानी वहाकर वो उसमें रास्ता कायम सायल के कब्जे काश्त में व्यवधान होने व सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण की वुवी फसल वर्वाद होना संभव है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन सेसायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहा है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 170 रकवा 0.90 हे. वाके ग्राम सेढूकानगला तहसील कठूमर की मौके यथास्थिति बनाये रखें। तथा पत्रावली पर जारी स्टे दिनांक 04.03.2022 ता दावा फैसले तक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.04.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)